राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1763/2022

शीला जैन

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.05.2022
आदेश की दिनांक : 01.05.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अभिभाषक।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल–प्रथम के पद पर रा.उ.प्रा.वि., बड़बेला, ब्लॉक झालरापाटन, जिला झालावाड़ में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्रारंभिक रूप से शिक्षक के पद पर दिनांक 06.07.1985 को हुई थी, जिसमें उन्हें अप्रशिक्षित के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका आगे तर्क है कि राज्य सरकार के नियमानुसार कोई अप्रशिक्षित शिक्षक 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है, तो उसे शिक्षित शिक्षक माना जायेगा। इस आधार पर अपीलार्थी को प्रशिक्षित शिक्षक माना गया तथा चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया, जो दिनांक 06.07.1987 से दिया जाना था। परंतु बाद में अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ 25.01.1992 दिया गया। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा अवधि की गणना का लाभ प्रदान किया गया है, परंतु वह वर्ष 1992 से दिया गया है, जो गलत है। अतः अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा अवधि

की गणना का लाभ प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से मानकर प्रदान किया जाए। अपीलार्थी ने अपनी बहस के दौरान इस अधिकरण द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 188/2012 श्रीमती भावना त्रिवेदी व अन्य मामलों की ओर आकृष्ट कराया है। जिन मामलों का निर्णय इस अधिकरण द्वारा 08.01.2013 को किया गया। जिनमें अपीलें स्वीकार कर यह माना गया कि अपीलार्थीगण नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान लाभ पाने के अधिकारी है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)